फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

इन्द्राज वगै० बनाम राजेन्द्र कुमार वगै०
नरेन्द्र कुमार पु. मखनीरा

ख्या / वर्ष : 017 / 2020

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.11.2020	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। दरख्वास्त 2 पृथक प्रार्थनापत्रों के माध्यम से प्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं० 8 लगायत 17 तथा 18,19,20 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 10.8.2020 को अपास्त किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया गया है। दोनों प्रार्थनापत्रों की प्रस्तुति के उपरांत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जिसकी संबंधित पक्षकारान को तामील की गई। न्यायालय की निर्णित पत्रावली दिनांक 10.8.2020 दोनों प्रार्थनापत्रों के साथ संलग्न की गई। तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई। दोनों प्रार्थनापत्रों के अधिवक्तागण प्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं० 8 लगायत 17 तथा 18,19,20 द्वारा प्रार्थनापत्रों में वर्णित तथ्यों को पुनः उल्लेखित कर यह प्रकट किया गया कि मूलवाद में प्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 6.3.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित की गई थी। तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का दिनांक 10.8.2020 को निस्तारण कर वादीगण के मूलवाद को प्रारंभिक रूप से डिक्री किया गया है। मूलवाद में प्रार्थीगण की विधिवत तामील नहीं हुई थी तथा प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण अचल संपत्ति से संबंधित है तथा एकपक्षीय डिक्री	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

लय: राजेन्द्र कुमार आदि बनाम राजेन्द्र कुमार मनोज आदि

: 17

संख्या/वर्ष /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	दिनांक 10.8.2020 से प्रार्थीगण के अधिकारो पर विपरित प्रभाव उत्पन्न हुआ है। ऐसी स्थिति मे हस्तगत प्रार्थनापत्रो को स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.8.2020 को अपास्त कर मूलवाद मे प्रार्थीगण को सम्मिलित सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। इसके विपरित वादी अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय हाजा के समक्ष मूलवाद के लंबित रहते की प्रार्थीगण को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। प्रार्थीगण मूलवाद मे जानबूझकर विधिवत तामील के बाद उपस्थित नहीं हुए थे। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्रो को अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। वक्त हेतु कोई कारण प्रार्थीगण द्वारा स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा मात्र राजस्व अभिलेख के अनुसार खाता विभाजन कर प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिससे प्रार्थीगण का कोई अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है। हस्तगत दोनो प्रार्थनापत्र को खारिज फरमाया जावे ... अकारण ही प्रस्तुत ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

बनाम

/ वर्ष : / 20

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अभिवचना की पेशी हेतु अनुपस्थित रहने के कारण आदेशित की गई थी माह Sept. 2019 से 6 मार्च 2020 तक प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा अपने हितो की सुरक्षार्थ कोई कार्यवाहियां विधिनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रतिवादीगण, न्यायालय की कार्यवाहियों के प्रति स्वयं लापरवाह एवं उदासीन रहे थे। यह विधि का स्थापित नियम है कि विधि जागरूक अधिकारों की सुरक्षा करती है, सुषुप्त की नही। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर लापरवाहियां बरती की गई है। जिसके अनुक्रम में 6.3.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित किये जाने के अतिरिक्त विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य कोई विकल्प शेष नही था। उक्तानुसार दिनांक 6.3.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित किये जाने में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि को प्रमाणित करने मे प्रार्थीगण प्रतिवादीगण इस न्यायालय के मत मे असमर्थ रहे है।	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

बनाम

मुकदमा संख्या/वर्ष : /20

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सम्यक् निस्तारण किये जाने योग्य है। उभयपक्ष को सुना गया। तर्कों का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण का यह स्वीकृत तथ्य है कि मूलवाद के संस्थापन के उपरान्त न्यायालय दावा द्वारा प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को तामील हेतु सूचनापत्र प्रेषित किये गये थे जिनकी तामील के उपरान्त प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से अधिकृत अधिवक्ता द्वारा न्यायालय दावा के समक्ष स्वयं की उपस्थिति दर्ज कार्यवाही गई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध मूलवाद प्रस्तुत होने तथा लंबित होने की प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को प्रारंभ से जानकारी होना पत्रावली पर प्रमाणित है। प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से माह September 2019 में अधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज कार्यवाही गई थी तथा न्यायालय दावा द्वारा दिनांक 6.3.2020 को करीब 6 माह की अवधि के उपरान्त एकपक्षीय कार्यवाही प्रार्थीगण प्रतिवादीगण अथवा उनके

सहायक कलक्टर आमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

बनाम

संख्या / वर्ष : /20

दिनांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	दिनांक 6.3.2020 का एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश इस न्यायालय के मत में उपस्थित परिस्थितियों के प्रकाश में विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार पत्रावली पर उपस्थित नहीं है। दिनांक 10.8.2020 को न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही के अनुक्रम में विवादित आराजीयात के विभाजनार्थ प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। उक्त प्राथमिक डिक्री-राजस्व अभिलेख के अनुसार पारित की गई थी। विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाये जाने हेतु 30 दिन की समयावधि नियत है। किन्तु हस्तगत दोनों प्रार्थनापत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं तथा कारित विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत पृथकश: कोई प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र न्यायालय दीवानी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि अत्यन्त आवश्यक था। आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी में वर्णित कोई भी वि[illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

बनाम

मुकदमा संख्या/वर्ष : /20

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		है। ऐसी स्थिति मे इस न्यायालय के मत मे दोनो प्रार्थनापत्रों के तथ्य एवं विधि का बल न होने से दोनो प्रार्थनापत्र उक्तानु अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किये जाते है। उक्तानुसार प्रार्थनापत्र कमलकुमार होकर संलग्न मु. पत्रावली रहे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:19:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner